न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/00101 223 आरटीएक्ट

द्रोपदी पत्नी शेर सिंह पुत्र स्व0 छबीलाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लाधुराम पुत्र बोधाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मालाराम पुत्र बोधाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
3. हनुमान पुत्र बोधाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
4. गीता पुत्री छबीलाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
5. समुन्द्रा
6. विनोद
7. विकास
8. सुनीता

पुत्र व पुत्रीयान सलवन्त पुत्री स्व0 छबीलाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

9. बिदामी पुत्री बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
10. राजेन्द्र
11. अनुप
12. इन्द्रा

पुत्र व पुत्रीयान छबीलाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

13. बृहस्पति
14. सुभाष
15. दलवीर
16. ओमपति
17. शारदा

पुत्र व पुत्रीयान स्व0 हरिसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

18. कृष्ण पत्नी स्व0 हरिसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

19. फूलाराम पुत्र शंकर पुत्र मामराज जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
20. रामकुमार पुत्र मोतीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
23. राममूर्ति पुत्री छबीलाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदागढिया तहसील भादरा

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.1998
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर मु0 भादरा
प्र0सं0 523/1994 अनवान रामसिंह आदि बनाम छबीलाराम आदि

उपस्थितः—
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अभिभाषक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 3
श्री महेश राठोड़ अभिभाषक रेस्पो0 सं0 13, 14, 15, 16, 17, 18
श्री मांगीलाल बेनीवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 9
श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 21, 22

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः— 11.04.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रामसिंह व हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत एक अर्जीदावा पेश किया। अर्जीदावा में कथन किया कि अर्जीदावा की मद सं0 4 में अंकित 152 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बनती है जो मिताक्षरा हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति है और उसका बंटवारा उनके द्वारा किये गये पारिवारिक समझौता ता0 20.07.94 के मुताबिक कन्फर्म किया जाकर उसी मुताबिक उनके खाते कायम किये जावें जिसका विवरण अर्जीदावा की मद सं0 7 में दर्ज किया गया है प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 व 8 ने इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादी [illegible] ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों के साथ यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट छबीलाराम के पुत्र शेरसिंह की धर्मपत्नी है तथा अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज कुर्सीनामा में अपीलांट के पति को मृतक दर्ज कर दिया गया जबकि शेरसिंह दिनांक 25.06.1986 को फौत हो चुका है तथा अपीलाण्ट को कुर्सीनामा में दर्ज नही किया गया और ना ही अर्जीदावा में कही पक्षकार संयोजित किया गया जबकि शेरसिंह के हक व हिस्से में उसकी पत्नी का भी हक व हिस्सा था तथा अर्जीदावा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने साजबाज कर गलत रूप से यह निर्णय पारित करवा लिया है। बोधाराम के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बोधाराम की संयुक्त आय से पैदाकर्दा कृषिभूमि को हड़पने की नियत से यह निर्णय पारित करवाया है। बोधाराम की भूमि में अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.07.1994 को बंटवारा किया है तथा उसमें भी संयुक्त परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है तथा परिवार के सभी सदस्यों जिनमें वादीगण व प्रतिवादीगण पुत्रीयों को छुपाकर निर्णय पारित किया गया है जो कतई गलत है। बोधाराम के पुत्रगण को पक्षकार बनाया गया है पुत्रीयों को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा होने के कारण एवं उसे पक्षकार बनाये बिना उसके हिस्से की भूमि को हड़पने के कारण अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र, धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जावे कि वह अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरबीजे पेज 180 (4) सीसीसी पेज 868, 1996 आर आर सी पेज 281, 2018 (1) आर डब्ल्यू पेज 1139, 2005 (8)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एसबीआर पेज 1, 2010 (3) सीसीसी पीएससी पेज 374, 2016 आरबीजे पेज 712 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 9, 13 ता 18 ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्रोपदी द्वारा यह अपील मात्र रेस्पोडेण्ट को तंग परेशान करने हतु एवं रेस्पोडेण्ट को कानून का भय दिखा कर रूपये हड़पने की योजना के अन्तर्गत ही पेश की है। अपीलाण्ट न्यायालय में क्लीन हेंड नही आई है। अपीलाण्ट ने लगभग 24 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अपील का समय डिक्री या निर्णय की तारीख अथवा जानकारी में से 30 दिवस होने के कारण यह अपील मियाद बाहर एवं काबिल–ए–खारिज है। अपील प्रस्तुत करने से पूर्व मर्यादा अधिनियम 1963 की पालना करना आवश्यक है। मर्यादा अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा परिसीमा का वर्जन किया गया है। मर्यादा अधिनियम की अनुसूचि के प्रथम खंड के भाग 5 के अनुच्छेद 65 के अनुसार हक के आधार पर स्थावन सम्पति या उसमें के किसी हित के तब के लिए वाद के लिए परिसीमा काल बारह वर्ष निर्धारित है–जबसे कब्जा प्रतिकलू हो जाता है। मर्यादा अधिनियम की अनुसूचि के प्रथम खंड के भाग 9 के अनुच्छेद 110 के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा जो कि अविभक्त कुटुब की सम्पति से उपवर्जित किया गया है, हो उसमें अंश के लिए अधिकार को प्रवर्तित कराने के परिसीमा काल 12 वर्ष है–जब उपवर्जन वादी को ज्ञात हो। अपील निर्णय के 24 वर्ष बाद अर्थात 8640 दिवस बाद संस्थित की गई है जो कि परिसीमा से वर्जित है एवं अपीलांट के पास उक्त देरी हेतु कोई पर्याप्त अपीलांट के पास उक्त देरी हेतु कोई पर्याप्त कारण नही है। अपीलाण्ट को दिनांक 01.03.2021 को डिक्री का ज्ञान का कथन करना एवं दिनांक 06.07.2021 को अपील संस्थित करना स्वयं अपीलाण्ट के कथनों के दर्ज होने के कारण भी परिसीमा काल 30 दिवस से अधिक होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अपील खारिज योग्य है। अपीलांट कथित विवादित निर्णय एवं डिक्री में किसी भी तरह से सम्बन्धित नहीं है अर्थात विवाद में अपीलांट कुछ भी नहीं है उसे किसी भी तरह का टाइटल अपील करने बाबत प्राप्त नहीं है। अपील धारा 96 सीपीसी के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के बिन्दू में जो कथन किये हैं वह ... न्यायालय में अपील दर्ज करने की गुंजारिश की थी जिसमें अपील... के मकसद में कामयाब हो जावे तथा साथ ही स्व... सिंह पुत्र ...राम जाति बिश्नोई की पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दर्शित कर दिया। अपने कथनों को अपीलांट द्वारा शपथ–पत्र में तस्दीक भी किया है जबकि शेरसिह अविवाहित फौत हुआ था, शेरसिह के नुत्फे से कभी भी जायज या नाजायज संतान उत्पन्न नहीं हुई थी इस कारण से अपीलांट का शेरसिंह की पुत्री होने का कथन कतई लान्छनपूर्ण, झूठा एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार्य है। अपील में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि अपीलांट द्रोपदी शेरसिह की पुत्री है अथवा पत्नी है। इसलिए अपील एडमिशन के बिन्दू पर ही खारिज योग्य हे। कोई किसी महिला या स्त्री किसी भी एक व्यक्ति की दो रिश्तेदारी कायम कर पुत्री एवं पत्नी नहीं हो सकती है। धारा 103 के अन्तर्गत अपीलाण्ट को बियान्ड रिजनेबल डाउट यह साबित करना होगा कि उसके अथवा किये समस्त या कोई कथन सही है। अपील में बंटवारे के संदर्भ में रेस्पोडेण्ट संख्या 9 बिदामी को कुसंयोजन के कारण पक्षकार बनाया गया है, बिदामी का उक्त कृषि भूमि में एवं विवादित निर्णय एवं डिक्री में किसी भी तरह का हित नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 9 को केवल तंग व परेशान करने के लिए एवं कानून का भय दिखाकर रूपये एंठने के लिए पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 13, 16, 17, 18, भी अपील में कुसंयोजित पक्षकार है। अपीलांट का उनके परिवार कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा एवं टाईटल नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर इन्हें तंग परेशान करने के लिए पक्षकार बनाया है। उपरोक्त रेस्पोडेण्टान को अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। धारा 103 साक्ष्य अधिनियम विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत उस व्यक्ति का होता है जो न्यायालय से चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबंत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। अपीलाण्ट द्वारा कपट पूर्वक कौशिल्या देवी से सांठ गॉठ कर कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र 30.05. 2021 जारी करवाया गया जो न्यायालय हाजा में बतौर सबूत पेश किया है। सरपंच कौशल्या देवी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी विचाराधीन है। दस्तावेज कूटरचित एवं फर्जी होने के कारण माननीय न्यायालय में सुसंगत एवं ग्राहय नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार द्रोपदी, राजेन्द्र पुत्र. छबीलाराम बिश्नोई की पत्नी अंकित है। द्रोपदी की छबीलाराम के दूसरे पुत्र शेर सिह की पति–पत्नी की नातेदारी कभी भी नहीं रही है। द्रोपदी [illegible] शाह कार्ड के अनुसार अपीलांट द्रोपदी–पिता का नाम बी[illegible] एवं माता का [illegible] शांति देवी है। एक शादीशुदा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अ[illegible]
हनुमानगढ़

वयस्क महिला है। शेर सिंह की मृत्यु के समय अपीलांट की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। जन्म तिथि 01-01-1974 है जो कि वैध रूप से राजेन्द्र पुत्र छबीलाराम उर्फ छबीलदास माता का नाम सुपारी देवी है। राजकीय पहचान पत्र आधार कार्ड के अनुसार अपीलाण्ट के पति का नाम राजेन्द्र निवासी सरदारगढिया एवं आधार कार्ड के अनुसार अपीलांट की उम्र 01.01.1984 है अर्थात शेर सिंह की मृत्यु के वक्त अपीलाण्ट की उम्र महज 2 वर्ष रही थी। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का शेर सिंह से विवाहित होना कतई असम्भव है। परिवार राशन कार्ड निवार्चक नामावली आदि में भी द्रोपदी के पति का नाम राजेन्द्र दर्शाया गया है। अपीलाण्ट के पुत्र विजयपाल के सकेंडेरी की अंक तालिका में भी विजयपाल के पिता नाम राजेन्द्र एवं माता का नाम द्रोपदी अंकित है। अपीलाण्ट को सर्वप्रथम शेरसिंह की पुत्री या शेर सिंह की पूर्व पत्नी होना साबित करना एवं उक्त हेतु सक्षम न्यायालय से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय करवाना एवं पुत्री या मृत पति की पत्नी होने एवं दूसरे विवाह के बाद किसी पत्नी का पूर्व पति की प्रोपर्टी में हक बाबत प्रस्तुत कर घोषणा करवानी अनिवार्य है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र एवं अपील खारिज किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय हाई कोर्ट के सिविल अपील नं. 378/2016 निर्णय दिनांक 28.07.2017 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ता 18 के अधिवक्ता की बहस को दोहराते हुए। अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया। और अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2010 (3) पेज 374, आरबीजे (5) 2008 पेज 761 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेज होने एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में [illegible] पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट [illegible] ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर [illegible] कारण अपीलाण्ट का धारा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को स्व0 शेर सिंह की पुत्री होने के आधार पर स्वयं को कथित पक्षकार होना दर्शित करते हुए प्रस्तुत की है परन्तु अपीलाण्ट ने साथ ही स्व0 शेर सिंह की पत्नी होना दर्शित किया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में अपीलाण्ट के पति का नाम राजेन्द्र अंकित है एवं अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचातय सरदारगढिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 01.09.2021 के अनुसार द्रोपदी की शादी शेरसिंह पुत्र छबीलाराम के साथ हुई थी। उसके बाद दिनांक 25.06.1986 को शेरसिंह की मृत्यु होने पर सामाजिक रिती रिवाज अनुसार उनके माता पिता ने राजेन्द्र छबीलाराम की तरफ द्रोपदी को कर दिया गया था। अपीलाण्ट द्वारा अपने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जसमें उसने स्वयं को शेरसिंह की पत्नी बताया है इसलिए प्रार्थना–पत्र में यह अंकन की "अपीलाण्ट शेर सिह की पुत्री थी" यह एक लिपिकिय सहवन है। अपीलाण्ट शेर सिंह की पत्नी होने के कारण एवं छबीलाराम के परिवार की सदस्य होने के कारण वह एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। अपीलाण्ट एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.01.1998 को प्रतिवादी छबीलाराम पुत्र बोघाराम को बंटवारा में प्राप्त 4 एमएसआर के मु. नं. 89 के किला नं. 6 से 8 की 3 बीघा, किला नं. 9 की 7 बिस्वा, किला नं. 12 की 7 बिस्वा, 13 से 18 की 6 बीघा, 19 की 7 बिस्वा कुल 10.01 बीघा व चक 7 एमएसआर के मु0 नं0 26 की 1, 10, 11, 20, 21 की 5 बीघा कुल 15.01 बीघा की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है एवं शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि छबीलाराम के उपरोक्त हिस्से की भूमि के संबंध में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर [illegible] का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर मु0 भादरा का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.01.1998 को प्रतिवादी छबीलाराम पुत्र बोघाराम को बंटवारा में प्राप्त 4 एमएसआर मु. नं. 89 के किला नं. 6 से 8 की 3 बीघा, किला नं. 9 की 7 बिस्वा, किला नं. 12 की 7 बिस्वा, 13 से 18 की 6 बीघा, 19 की 7 बिस्वा कुल 10.01 बीघा व चक 7 एमएसआर के मु0 नं0 26 की 1, 10, 11, 20, 21 की 5 बीघा कुल 15.01 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.01.1998 यथावत रखे जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि छबीलाराम के उपरोक्त हिस्से की भूमि के संबंध में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/4/22

(करतार सिंह पूनिया, आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:23 IST
Reason: SelfAttested